कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,

पत्र संख्या। 232/मु0वि0प्रा0/–मुरादाबाद (वाद सं0 248/2016)   दिनांक: 6/04/2017

शैल इन्फ्राटेक लि0
ए–138, नियर सोनकपुर स्टेडियम
रामगंगा विहार, मुरादाबाद ।
स्थल–हरथला एहतमाली (नियर आर0एस0डी0 कालिज)
मुरादाबाद ।

आपके द्वारा प्रशमन हेतु मानचित्र जिसकी एक प्रति आदेश के साथ संलग्न है । निम्नलिखित प्रतिबन्धों सहित प्रशमन स्वीकृति करते हुये निर्गत किया जाता है ।

1. यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से केवल 05 वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका मु0वि0प्रा0 रेलवे सेटिलमेंट, नोटिफिकेशन एरिया किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नही होता यदि प्रभावित होता है तो उनकी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता पर होगी ।
3. भवन मानचित्र जिसके प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, केवल उसी प्रयोग मे लाया जायेगा ।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना आपत्ति के देय होगा ।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नही होगा, उस पर शासन अथवा किसी भी स्थानीय निकाय को विकास करने की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।
6. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह लगाये जायेगें कि वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि अथवा सड़क आदि की ओर प्रोजेक्टेड न हो ।
7. बिजली की लाईन में 05 फीट के अन्दर से तथा विद्युत उपनियमों (पाईप लाईन) के विरूद्व कोई कार्य न किया जायेगा ।
8. सड़क सर्विस लेन, सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री बिल्डिंग मैटिरियल नही रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा ।
9. स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर रखना आवश्यक होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के द्वारा (स्पैसीफिकेशन) नियमो के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भूमि एवं भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं प्रार्थी पर होगी ।
10. सड़क पर अथवा बैक लैन में कोई रैम्प अथवा स्टेप्स नही बनाया जायेगा और वह अपना कार्य केवल अपनी ही भूमि पर सम्पन्न करेगा।
11. मानचित्र में कटे हुए भाग का निर्माण नही किया जायेगा एवं निर्माण स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही करना होगा ।
12. यदि मानचित्र मे उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ किया जाता है तो वह पूर्ति मान्य होगी एवं भवन निर्माण सम्बन्धी समय–समय पर प्रसारित शासनादेशों को ध्यान मे रखते हुए ही किया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता इस स्वीकृत का उपयोग नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 की किसी भी धारा से बचने के लिये नही कर सकेगा और यदि इस स्वीकृति का विपरीत प्रभाव उपरोक्त अधिनियम की किसी भी धारा पर पड़ता है तो वह स्वीकृति उस सीमा तक निरस्त समझी जायेगी।
14. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण होने के एक माह के अन्दर अपना कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे : प्रमाण पत्र के बगैर भवन प्रयोग में नही लाये जायेगें ।
15. भू–स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।
16. भूकम्परोधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
17. समस्त निर्माण कार्य एन0बी0सी0–2005 के अनुसार पूर्ण करना होगा ।
18. वृक्षारोपण हेतु 50 पेड़ प्रति हेक्टर की दर से रोपण करना होगा ।
19. पार्किंग स्थल का उपयोग किसी अन्य उपयोग नही किया जायेगा ।
20. प्रदूषण/पर्यावरण विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी ।
21. जलपूर्ति–पानी की व्यवस्था ट्यूबवैल तथा स्टोरेज टैंक द्वारा न्यूनतम मानक 165 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के अनुसार उपलब्ध करानी होगी ।
22. ड्रेनेज का निस्तारण मार्ग पर उपलब्ध नाले मे करना होगा ।
23. विद्युत आपूर्ति-प्रस्तावित भार के सापेक्ष विद्युत आपूर्ति हेतु उ0प्र0 कार्पोरेशन लि0 की सहमति प्राप्त करनी होगा ।
24. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था मानचित्र मे दर्शायी गयी है । व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु रू0 1.00 लाख की बैंक गारंटी प्राधिकरण में जमा करानी होगी
25. सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम हेतु भवन के डिजाईन में पाईपों का प्राविधान एवं छत संयत्र उपयुक्त स्थान पर लगाया जायेगा ।
26. श्रम उपकर शुल्क का भुगतान आवेदक द्वारा स्वयं श्रम विभाग को करना होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
27. निर्माण पूर्ण कर प्राधिकरण से कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा ।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।

06/04/17

जोनल प्रभारी,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद।